तत्काल/अत्यावश्यक

# म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
## 26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक/बी–6/नियमन/2015/4907 भोपाल, दिनांकः 16.10.2015

–:: आदेश ::–

प्रदेश में उत्पादित बासमती धान के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य किसानों को दिलाने के लिए निम्नांकित कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जायेः–

1– हरियाणा एवं पंजाब राज्य की धान प्रमुख मंडियों के पूसा 1121 प्रजाति के धान (बासमती पूसा धान) की दरें प्रतिदिन इंटरनेट से डाउनलोड कर मंडी प्रांगण में किसानों के लिए प्रदर्शित की जायें एवं मंडी प्रांगण में लगे लाउड स्पीकर पर इसकी उद्घोषणा भी सतत् रूप से की जाये। मंडी प्रांगण में लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से किसानो को साफ किये गया धान ( छन्ना लगा कर ) लाये जाने की सलाह भी दी जाये जिससे धान की गुणवत्ता में सुधार से किसानो को घोष विक्रय में ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सकें।

2– प्रत्येक मंडी राज्य के बासमती धान मंडियों की दैनिक भावों की जानकारी दूरभाष/मोबाईल पर प्राप्त करेंगे और इसका भी प्रदर्शन कंडिका –1 में उल्लेखानुसार प्रतिदिन किया जायेगा।

3– प्रदेश के एवं अन्य राज्यो के व्यापारियो को मंडी में व्यापार करने के लिये आंमत्रित किया जायें । उन्हे लाईसेंस देने से लेकर व्यापार करने के लिये अन्य सुविधाओं को प्रथम प्रथमिकता के आधार पर प्रदान किया जायें । यह सतत प्रकिया रहेगी और ऑचालिक कार्यालय प्रभारियों के द्वारा सप्ताह में कम से कम तीन बार, मंडीवार, इसकी मानिटरिंग की जायेंगी ।

4– किसी भी समय यदि मंडी प्रशासन द्वारा यह देखा जाता है कि उनके पड़ोस की मंडी या अन्य प्रमुख बासमती धान की मंडी में प्रचलित बासमती धान के भाव की तुलना में किसानों को कम भाव खुले नीलाम में व्यापारियों द्वारा दिये जा रहे हैं तो तत्काल नीलामी को रोकते हुए व्यापारियों के साथ में चर्चा कर किसानों को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाये जाने की कार्यवाही की जाये एवं इस तरह की गयी कार्यवाही को कार्यालय में पंजीबद्ध कर रखने की कार्यवाही के साथ ही आंचलिक कार्यालय को इसकी सूचना भी तत्काल दी जाये।

5– यदि किसी मंडी क्षेत्र में प्रांगण के बाहर क्रय करने की अनुमति प्रदान कर क्रय केन्द्र स्थापित एवं संचालित हैं तो मंडी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह कंडिका–1

एवं 2 के अनुसार जानकारियों का प्रदर्शन इन क्रय केन्द्रों पर भी करायें और यह सुनिश्चित करें कि मंडी प्रांगण में प्रचलित भावों / समर्थन मुल्य जो भी अधिक हो, ही किसानों को क्रय केन्द्रों दिया जायें।

5– नीलामी के समय यदि मंडी प्राशासन को यह जानकारी प्राप्त होती है कि कमोवश जानबूझकर/योजना अनुसार/संगठित होकर किसानों को व्यापारियों के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक भाव नहीं दिये जा रहे हैं तो तत्काल इस कृत्य हेतु संबंधितों को चिन्हांकित करते हुए मंडी अधिनियम एवं उपविधियों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6– मंडी समिति एवं सचिव का यह दायित्व होगा कि वह मंडी में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की दृष्टि से अधिक–से–अधिक व्यापारियों को खुली नीलामी में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें एवं आवश्यकतानुसार पड़ोसी मंडियों एवं पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों को भी खुली नीलामी में भाग लेने हेतु नियमानुसार आमंत्रित करें। यह एक सतत् प्रक्रिया रहेगी और इसका समय–समय पर मूल्यांकन आंचलिक संयुक्त/उप संचालक द्वारा किया जायेगा।

7– जिला प्रशासन से तत्काल मिलकर मण्डी प्रांगण में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्र की स्थापना अवश्य कराई जाए और आवश्यकता अनुसार इन स्थापित किये गये केन्दों पर सुविधायें सुनिशिचत करवाई जाएं ।

उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ आंचलिक कार्यालय प्रभारी तथा सभी संबंधित मंडी सचिवों का यह दायित्व भी होगा कि वह किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने के साथ–साथ मंडी अधिनियम एवं उपविधियों के अनुसार भुगतान भी सुनिश्चित करायें। मंडियों के लायसेंसी व्यापारियों को भी मंडी अधिनियम एवं उपविधियों के अनुसार वह सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें जिससे कि राज्य शासन की उपरोक्त मंशा का पालन सुनिश्चित हो।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/2015/4908 भोपाल, दिनांकः 16.10.2015

प्रतिलिपिः–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4– संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय ..... को उपरोक्त निर्देशों के तत्काल एवं सतत् पालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

5– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति..... को उपरोक्त निर्देशों के तत्काल एवं सतत् पालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल